न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर

जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
07/2025	22.05.2025	2.1.5.26

मोहरबाई पत्नी गुल्टूराम, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर —प्रार्थिया

बनाम

1. केदार पुत्र मूला, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
2. राधेश्याम पुत्र रामराज, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
3. जयप्रकाश पुत्र रामराज, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
4. हरि उर्फ हरिया पुत्र रामदेव, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
5. चरण पुत्र हरि उर्फ हरिया, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर —— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री मोहम्मद इस्लाम, एड. अप्रार्थी संख्या 1,4,5 की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0न0 6163/1005 रकबा 0.17 है0 ग्राम पीलौदा मे स्थित है। प्रार्थिया की भूमि के पूर्व दिशा की सीमा से लगती सरकारी नहर, पश्चिम दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की सहखातदेारी की भूमि ख0न0 1006 है0, उत्तर दिशा मे ख0न 1009 व 1007 स्थित है। जो रमशे पुत्र जगन मीना की भूमि है। जिससे प्रार्थिया को कोई समस्या नही है तथा दक्षिण दिशा मे प्रार्थिया स्वयं के पुत्र की भूमि है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 4 ता 5 मे भूमि की सीमाओं को लेकर आपस मे विवाद होता रहता है। इसलिए प्रार्थिया द्वारा अपनी भूमि

का दिनांक 09.05.2025 को सीमाज्ञान करवा लिया है जिसमे करीब 1.40 मीटर भूमि पश्चिम दिशा की ओर निकली लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को उक्त भूमि पर कब्जा नही करने दिया। तहसीलदार वजीरपुर से निवेदन करने पर उन्होने पत्थरगढी का आदेश लाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके कारण प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 6163/1005 रकबा 0.17 है0 ग्राम पीलौदा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,4,5 के अलावा अन्य अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

अप्रार्थी संख्या 1,4,5 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थिया की कृषि भूमि का सीमाज्ञान संभव नही है क्योकि उक्त भूमि की उत्तर दिशा व पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थिया स्वयं द्वारा पूर्व मे ही मौके पर पक्की दीवार का निर्माण कर रखा है तथा पश्चिम दिशा मे अप्रार्थीगण द्वारा भूमि पर चपेट से पक्के मकानों का निर्माण कर रखा है। प्रार्थिया को अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान पक्के निर्माण से पूर्व करवाना चाहिए था अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी संवत 2074—77 खाता संख्या 662,379, 356, 614 ग्राम पीलौदा, सीमाज्ञान रिपोर्ट 09.05.2025 प्रस्तुत किये है।

प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 4, 5 ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.05.2025 से स्पष्ट है कि प्रार्थिया को उसकी भूमि ख्ख0न0 6163/1005 रकबा 0.17 है0 ग्राम पीलौदा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थिया के पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्राथिया अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 6163/1005 रकबा 0.17 है0 ग्राम पीलौदा की पत्थरगढी कराने की अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह पडौसी खातेदारों की उपस्थिति मे प्रार्थिया को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 6163/1005 रकबा 0.17 है0 ग्राम पीलौदा पर पत्थरगढी करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीणा)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर